

गिग वर्कर के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना

सन्दर्भ

- हाल ही में, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून का मसौदा तैयार करने की मांग की, जिसमें स्वास्थ्य बीमा और सेवानिवृत्ति बचत जैसे लाभ प्रदान किए जाएंगे।

परिचय

- गिग इकॉनमी, जिसे फ्रीलांस इकॉनमी या ऑन-डिमांड इकॉनमी के नाम से भी जाना जाता है, अस्थायी, लचीले रोजगारों की विशेषता है, जो भारत में तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है।
- यह उन कंपनियों द्वारा संचालित है जो पूर्णकालिक कर्मचारियों के बजाय अल्पकालिक कान्ट्रैक्टरों, सलाहकारों और फ्रीलांसरों को कार्य पर रखना पसंद करती हैं।
- यह एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लाइंट के लिए कार्य-दर-कार्य के आधार पर कार्य करने वाले व्यक्तिगत कर्मचारियों के बारे में है, और यह स्मार्टफोन, डिजिटल तकनीकों एवं देश के जनसांख्यिकीय लाभांश को व्यापक रूप से अपनाने से प्रेरित है।
- नीति आयोग की रिपोर्ट 'भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म इकॉनमी' शीर्षक से गिग वर्कर को इस प्रकार परिभाषित करती है:
 - कोई ऐसा व्यक्ति जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर, साथ ही अनौपचारिक क्षेत्र में आय अर्जित करने वाली गतिविधियों में संलग्न होता है।
 - इसके अतिरिक्त, यह ओला, उबर, डंजो, स्विगी, ज़ोमैटो और अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म के साथ काम करने वालों को प्लेटफॉर्म वर्कर के रूप में परिभाषित करता है।
- इसे सामान्यतः प्लेटफॉर्म और गैर-प्लेटफॉर्म-आधारित श्रमिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- प्लेटफॉर्म कर्मचारी वे लोग हैं जिनका कार्य ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है।

गिग अर्थव्यवस्था का विकास

- नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2020-21 में गिग इकॉनमी में लगे श्रमिकों की संख्या 77 लाख होने का अनुमान है, जो गैर-कृषि कार्यबल का 2.6% या भारत में कुल कार्यबल का 1.5% है।
- ये श्रमिक विभिन्न कौशल स्तरों में फैले हुए हैं, जिनमें से लगभग 47% गिग मध्यम-कुशल रोजगारों में, लगभग 22% उच्च-कुशल और लगभग 31% कम-कुशल रोजगारों में कार्य करते हैं।
- 2029-30 तक इसके 2.35 करोड़ (23.5 मिलियन) श्रमिकों तक बढ़ने की उम्मीद है।
- 2029-30 तक, गिग श्रमिकों के भारत में गैर-कृषि कार्यबल का 6.7% या कुल आजीविका कार्यबल का 4.1% बनने की उम्मीद है।

वर्तमान परिदृश्य

- गिग वर्कर्स को प्रायः पारंपरिक रोजगार ढांचे से बाहर रखा जाता है, जिसका तात्पर्य है कि उनके पास नियमित कर्मचारियों के समान सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति बचत और सवेतन अवकाश तक पहुँच नहीं होती है।

- यह बहिष्कार उन्हें आर्थिक अस्थिरता और स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाता है।
- भारत में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स को मान्यता देती है, लेकिन उन्हें अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा मानती है, जो व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभों तक उनकी पहुँच को सीमित करता है।
- हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि केवल कुछ प्लेटफ़ॉर्म, जैसे कि बिगबास्केट और अर्बन कंपनी, यह सुनिश्चित करते हैं कि गिग वर्कर्स कार्य से संबंधित लागतों के हिसाब से कम से कम स्थानीय न्यूनतम वेतन कमाएँ।
- इन श्रमिकों के लिए एक उचित सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना उनके कल्याण और वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रस्तावित कानून

- **राजस्व योगदान:** ज़ोमैटो और स्विगी जैसे एग्रीगेटर्स को गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष में अपने राजस्व का 1%-2% योगदान करना होगा। यह कोष स्वास्थ्य बीमा और अन्य लाभ प्रदान करेगा।
- **कल्याण बोर्ड मॉडल:** यह कानून गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष की देखरेख के लिए एक कल्याण बोर्ड की स्थापना करेगा।
 - यह बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि गिग वर्कर्स को वे लाभ मिलें जिनके वे पात्र हैं।
- **कार्यकर्ता पंजीकरण:** सभी गिग वर्कर्स को प्लेटफ़ॉर्म कंपनियों द्वारा ई-श्रम प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकृत किया जाना चाहिए।
 - यह पंजीकरण उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए पात्र बनाएगा।
- **समाप्ति नोटिस:** एग्रीगेटर्स को गिग वर्कर को रोजगार से निकालने से पहले वैध कारणों के साथ 14 दिन का नोटिस देना होगा, ताकि रोजगार की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
- **विवाद समाधान तंत्र:** कानून में गिग वर्कर्स और एग्रीगेटर्स के बीच विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र शामिल होंगे। इससे शिकायतों को दूर करने और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

चुनौतियाँ और अंतराल

- **अस्पष्ट रोजगार संबंध:** एग्रीगेटर कंपनियाँ प्रायः गिग वर्कर्स को स्वतंत्र कान्ट्रैक्टरों के रूप में वर्गीकृत करती हैं, जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों को दरकिनार कर देते हैं।
 - यह वर्गीकरण गिग वर्कर्स को वर्तमान श्रम कानूनों के दायरे से बाहर कर देता है।
- **संस्थागत सामाजिक सुरक्षा का अभाव:** औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के विपरीत, गिग वर्कर्स को भुगतान किए गए मातृत्व अवकाश और रोजगार की सुरक्षा जैसे संस्थागत सामाजिक सुरक्षा लाभों का अधिकार नहीं है।
- **व्यावसायिक सुरक्षा और न्यूनतम वेतन का अभाव:** वर्तमान नियम गिग वर्कर्स पर लागू नहीं होते हैं, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण कमज़ोरियों का सामना करना पड़ता है।

गिग वर्कर्स के सामने आने वाली अन्य चुनौतियाँ

- **लंबे कार्य घंटे:** विकास के बावजूद, भारत में गिग वर्कर प्रायः लंबे समय तक कार्य करते हैं, जिनमें से 85% एक दिन में आठ घंटे से अधिक कार्य करते हैं।

- कई गिग वर्कर्स ने अपनी रोजगार में असुरक्षित महसूस करने की बात कही। ऐप-आधारित कैब ड्राइवर्स में से लगभग एक तिहाई एक दिन में 14 घंटे से अधिक कार्य करते हैं, जबकि 83% से अधिक 10 घंटे से अधिक और 60% 12 घंटे से अधिक कार्य करते हैं।
- **कम वेतन:** 43% से अधिक कर्मचारी अपनी सभी लागतों को काटने के बाद प्रतिदिन ₹500 या महीने में ₹15,000 से कम कमाते हैं।
 - इस क्षेत्र से संबंधित अन्य मुद्दे हैं कमीशन, ग्राहक दुर्व्यवहार, रोजगार की असुरक्षा, आय अस्थिरता, बुनियादी रोजगार अधिकारों की कमी, काम का कमोडिटीकरण, कानूनी मान्यता की कमी और छुट्टी लेने में असमर्थता आदि जैसी भारी कटौती।

संबंधित सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय शहरी नीति रूपरेखा (NUPF):** NUPF मानता है कि भारत में शहरीकरण, जो 2031 तक 558.8 मिलियन के करीब पहुंचने वाला है, केवल एक जनसांख्यिकीय परिवर्तन नहीं है।
 - यह शहरों और कस्बों को भारत के विकास पथ के केंद्र में रखता है। आने वाले दशकों में, शहरी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020):** इसमें जीवन और विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ तैयार करने की परिकल्पना की गई है। हालाँकि, संहिता के तहत ये प्रावधान लागू नहीं हुए हैं।
- **ई-श्रम पोर्टल:** इसे गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के पंजीकरण और निर्माण के लिए लॉन्च किया गया था। यह एक व्यक्ति को स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने की अनुमति देता है, जो लगभग 400 व्यवसायों में फैला हुआ है।
- 2023 में, राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक' पेश किया, जिसमें गलत एग्रीगेटर्स के विरुद्ध कठोर प्रावधान हैं, जिसमें उन्हें राज्य में कार्य करने से रोकना भी शामिल है।

अनुशंसाएँ

- गिग वर्कर्स के लिए उचित सामाजिक सुरक्षा जाल सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाने की सिफारिश की गई है:
- **रोजगार संबंधों का स्पष्टीकरण:** मंत्रालय को गिग वर्कर्स की रोजगार स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें कर्मचारियों के रूप में मान्यता दी जाए और वे संबंधित लाभों के पात्र हों।
- **समावेशी परिभाषाएँ:** सरकार को वर्तमान रोजगार वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए गिग और प्रवासी श्रमिकों की परिभाषाओं को संशोधित करना चाहिए।
- **बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ:** गिग वर्कर्स के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति बचत और सवेतन अवकाश को शामिल करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे का विस्तार करना।

- **विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करना:** शिकायतों को दूर करने और गिग वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करना।
- **कौशल:** यह अनुशांसा की जाती है कि समय-समय पर आकलन करके और कुशल महिलाओं एवं विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म व्यवसायों के साथ साझेदारी करके कौशल अंतराल को समाप्त किया जाए।
 - निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए समग्र डेटा को सार्वजनिक करने का भी सुझाव दिया गया है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- गिग वर्कर्स के लिए उचित सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना उनका कल्याण और वित्तीय स्थिरता के लिए आवश्यक है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित कानून सही दिशा में एक कदम है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों और सतर्कता की आवश्यकता होगी कि गिग वर्कर्स को वे लाभ मिलें जिनके वे पात्र हैं।
- स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति बचत और अन्य लाभ प्रदान करके, हम सभी श्रमिकों के लिए अधिक समावेशी और निष्पक्ष कार्य वातावरण बना सकते हैं।

Source: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. सरकारें और गिग इकॉनमी प्लेटफॉर्म एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल बनाने के लिए एक साथ कैसे कार्य कर सकते हैं जो गिग श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की पर्याप्त रूप से रक्षा करता है, साथ ही गिग इकॉनमी के अंदर नवाचार एवं आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है?